न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 58 / 2019 दायरा दिनांक : 22 / 07 / 2019

उनवान

1– दुलीचन्द पुत्र कजोड़, आयु 42 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

2– कमला बाई विधवा पत्नी कजोड़, आयु 64 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– दौलतराम पुत्र नारायण, आयु 44 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

2– गेन्दी बाई पत्नी नारायण, आयु 66 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

3– खान्हा पुत्र लक्ष्मण, आयु 65 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन एवं मुरली मनोहर गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 09.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 107/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का डिक्री एवं निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । ग्राम दहीखेडा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 196 पुरानी 191 की खसरा नम्बर 42 की 12 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट के दादा नारायण पुत्र लक्ष्मण, जाति बलाई के गैर खातेदारी में दर्ज थी जो इन्तकाल नम्बर 372 से लक्ष्मण बेटा माधो के माफी में गलत रूप से दर्ज होकर सहवन से उनके खाते दर्ज हो गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को कजोड के पक्ष में 1/3 भाग को गैरखातेदारी में दर्ज करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश पारित किया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता कजोड ने दौलतराम के पिता नारायण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया । दिनांक 25.09.2008 को दावा डिक्री कर दिया गया । नारायण ने अपील पेश की अपील दिनांक 11.08.2009 को स्वीकार हुई इसके विरूद्ध हमने राजस्व मण्डल में अपील की । दिनांक 16.08.2010 को स्थगन दे दिया, उसके बाद कजोड व नारायण की मृत्यु हो गई । नारायण के लडके दौलतराम व गेन्दी बाई ने हमें पार्टी नहीं बनाया । हमने धारा 96 का प्रार्थना पत्र लगाया, हमारा 1/3 हिस्सा बनता है । राजस्व मण्डल में यदि अपील जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पार्टी बनाये बिना दावा डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही स्टे करनी चाहिए था । सेक्शन 10 व 151 में जब तक राजस्व मण्डल में फैसला कर दिया तब तक अधीनस्थ न्यायालय निर्णय नहीं कर सकता । सेक्शन 11 भी लागू होता है दुबारा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय पारित नहीं कर सकता । दावा गलत डिक्री किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर एल डब्ल्यू (1) राजस्थान पेज 131 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने दावा किया उसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाते या परमीशन लेनी चाहिए थी । अपील दिनांक 15.07.2019 को देरी से पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है । अपील मियाद बाहर है । खसरा नम्बर 42 की 12 बीघा 10 बिस्वा

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी का गैरखातेदार है खातेदारी दर्ज कर दी दिनांक 01.07.1968 से लगातार गैर खातेदारी में दर्ज की जावे । कुछ भूमि अवाप्त होगी 11 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी देवे । सरकार ने भी जवाब जवाब दे दिया अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है। राजस्व मण्डल जो आदेश देगा उसी अनुसार फैसला हो जायेगा । राजस्व मण्डल ने स्थगन भी दिया हुआ है । अपील चलने योग्य नहीं है । अतः खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2009 को कजोड़ पुत्र लक्ष्मण निवासी दहीखेड़ा अकलेरा के पक्ष में 1/3 भाग की गैर खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील नारायण पुत्र लक्ष्मण ने न्यायालय हाजा में की । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.08.2010 को अपील स्वीकार कर ली, जिससे प्रभावित होकर कजोड़ पुत्र लक्ष्मण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां उक्त न्यायालय हाजा के निर्णय को चेलैन्ज किया । दिनांक 30.09.2010 को न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.08.2010 में विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की आज की स्थिति राजस्व मण्डल अजमेर के अन्तिम आदेश होने तक यथावत रखे जाने का आदेश दिया । उक्त आदेश की रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को पूर्व से ही जानकारी थी इसके बावजूद नारायण पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र दौलतराम एवं पत्नी गेन्दी बाई ने केवल मात्र राज्य सरकार के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करके दिनांक 26.11.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा डिक्री करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो उचित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के एक तरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.2018 को निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– दुलीचन्द पुत्र कजोड़, आयु 42 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

2– कमला बाई विधवा पत्नी कजोड़, आयु 64 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम दहीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1– दौलतराम पुत्र नारायण, आयु 44 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

2– गेन्दी बाई पत्नी नारायण, आयु 66 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

3– खान्हा पुत्र लक्ष्मण, आयु 65 वर्ष, जाति मेहर, निवासी ग्राम घडावली, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 58/2019 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं0 107/दावा/2017 निर्णय व डिकी दिनांक – **26.11.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 11 माह 01 सन् 2021

हाजरी **श्री ए के जैन एवं मुरली मनोहर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री संजय कुमार सक्सैना** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.11.2018 अपास्त किया जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **09** माह **02** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रवन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)